



Office of the Superintendent,  
Pt. Khushilal Govt. Autonomous Ayu. Hospital & Institute  
( Science Hill, Behind MANIT, Kolar Nehru Nagar Road, Bhopal 462 003 )

Website: - www.klsgacli.nlc.in

Contact no. - 0755 - 2970310

Sr.No./Stu. Sec../2020/

Bhopal Date:-

**-:: NOTICE ::-**

As per gazette notification dated 09-11-2020 of state Government of Madhya Pradesh for M.D. (Ayurveda)/M.S.(Ayurveda) post graduate course admission, The candidates who are eligible to take admission in this institute through all India AYUSH post graduate entrance test 2020 must execute the seat-leaving bond at the time of admission. This bond should be duly signed by the student and parent. (see RuleNo. 21 of admission Rule 2020) Seat leaving bond format enclosed

2. Those who are to take admission in PG Courses under in service quota shall have to execute the bond as provisioned in Rule 4.2 of the Madhya Pradesh (M.D./M.S. Ayu.) post graduate admission rules 2020.

(For further information visit: [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in))

(Dr. Umesh Shukla)  
Principal & C.E.O.

Pt. Khushilal Sharma Government Ayurveda  
College & Institute, Bhopal

Encl.Sr.No./Stu. Sec../2020/ 1003-04

Bhopal Date:- 21/12/20

Copy to :-

Dr. Salil Jain, Website Incharge, in this institute.

Principal & C.E.O.

Pt. Khushilal Sharma Government Ayurveda  
College & Institute, Bhopal

सीट लीविंग बॉन्ड

(रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाये।)

मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉन्ड का प्रारूप

- 1 - मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... मध्यप्रदेश के ..... आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
- 2 - मैंने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2020 को भलीभांति पढ़ लिया है।
- 3 - मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
- 4 - मैं एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
  - (4.1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी/रहूँगा।
  - (4.2) यह कि अंतिम चरण की पी.जी. काउंसिलिंग 2020 में एम.डी.(आयुर्वेद) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रु. 05.00 लाख (पंच लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्धदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी/रहूँगा एवं अगले 03 वर्षों (तीन वर्षों) तक मुझे प्रदेश के किसी भी शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
  - (4.3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे।
  - (4.4) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :- 1 .....

2 .....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित शर्तों की वरूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अभिभाषक

गवाह :- 1 .....

2 .....